न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–94 / 2022 दायर दिनांकः 23.06.2022

GCMS NO:- 2022/216

पीठासीन अधिकारी :– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. दुर्गालाल आ0 श्री खेमा जाति कीर निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैंनवां जिला बून्दी राजस्थान।
2. देव्या आ0 श्री खेमा जाति कीर निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैंनवां जिला बून्दी राजस्थान।
3. भवाना आ0 श्री खेमा जाति कीर निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैंनवां जिला बून्दी राजस्थान।

——वादीगण

बनाम

1. मंगला आ0 रामचन्द्र जाति कीर निवासी सीसोला तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जजावर तहसील नैनवां जिला बून्दी राज.।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

——प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट एवं 136 एल.आर. एक्ट।

उपस्थितिः—

वादी की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी।

निर्णय दिनांक 30.01.2024

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम सीसोला पटवार मण्डल सीसोला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 155 पुराना 60 के अनुसार खसरा संख्या 1688 / 669 रकवा 0.3317 हेक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है। यह कि ग्राम सीसोला पटवार मण्डल सीसोला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 168 पुराना 164 के अनुसार खसरा संख्या 669 / 1811 रकबा 0.4854 हेक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मंगला के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी है। यह कि ग्राम सीसोला पटवार मण्डल सीसोला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. की जमावन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा संख्या 669 रकवा 9.1983 हेक्टयर भूमि स्थित है। जो राजकीय सिवाय चक भूमि स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमियां मूल खसरा संख्या 669 का भाग है जिसे वाद पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित किया गया है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित कृषि भूमियों की राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हो रही थी लेकिन राजस्व नक्शे आनलाईन करते समय मौके का बिना सत्यापन किये राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 1 मंगला को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि की तरमीम वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के लगवा जिस जगह पर वादीगण के मकान आदि बने हुये है उस स्थान पर कर दी जबकि मौके पर प्रतिवादी का उक्त खसरा नम्बर में ही अन्य स्थान पर कब्जा काश्त है तथा मौके पर काबिज रहकर खेती काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण जिस स्थान पर काबिज है तथा उसके मकान आदि बने हुये उसको नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में लाल स्याही से दर्शाया गया है तथा इसी खसरे में जिस स्थान पर प्रतिवादी मंगला का कब्जा काश्त चला आ रहा है उस स्थान को नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में नीले रंग से दर्शाया गया है। नक्शा परिशिष्ट ''अ'' वाद का अभिन्न अंग है। यह कि वादीगण ने उक्त भूमि का ऑन लाईन नक्शा ट्रेस निकलवाया तो गलत रूप से की गई तरमीम की जानकारी हुई दी तो वादीगण ने [illegible] किया लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई तथा तरमीम दुरूस्त करने से साफ इंकार [illegible] यह वाद का कारण है। वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में शपथ [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.09 16:49:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार [illegible] प्राप्त [illegible] के मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 155 खसरा संख्या 1688 / 669 रकबा 0.3317 हेक्टयर किस्म [illegible]–4 दुर्गा–देव्या भवाना पुत्र खेमा हि0ब0 जाति कीर खातेदार [illegible] का हिस्सा राहिन बडौदा [illegible] ग्रा0 बैंक शाखा जजावर दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबंदी संख्या 2076–79 खाता संख्या 168 खसरा संख्या 669 / 1811 रकबा 0.4854 है0 किस्म बारानी–4 मंगला पुत्र रामचन्द्र जाति कीर खातेदार भवाना का हिस्सा राबिन बडोदा रा0 ग्रा0 बैंक शाखा जजावर दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी मौके पर उक्त खसरा संख्या 1688 / 669 व 1688 / 1811 में खातेदारान के कब्जे

अनुसार तरमीम प्रस्तावित की गई है जो परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। खातेदारान के मौके पर कब्जाकाश्त के अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम सीसोला पटवार मण्डल सीसोला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 168 पुराना 164 के अनुसार खसरा संख्या 669/1811 रकबा 0.4854 हेक्टयर भूमि की तरमीम तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट दिनांक 23.02.2023 द्वारा प्रस्तावित नक्शा अनुसार जिसे परिशिष्ट "ब" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा के अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.09 15:49:19 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक नजरी नक्शा ट्रेस

परिशिष्ट "ब"

ग्राम- सीलोला

तह- नैनवाँ जिला- बूंदी (राज.)

परिशिष्ट 'अ'

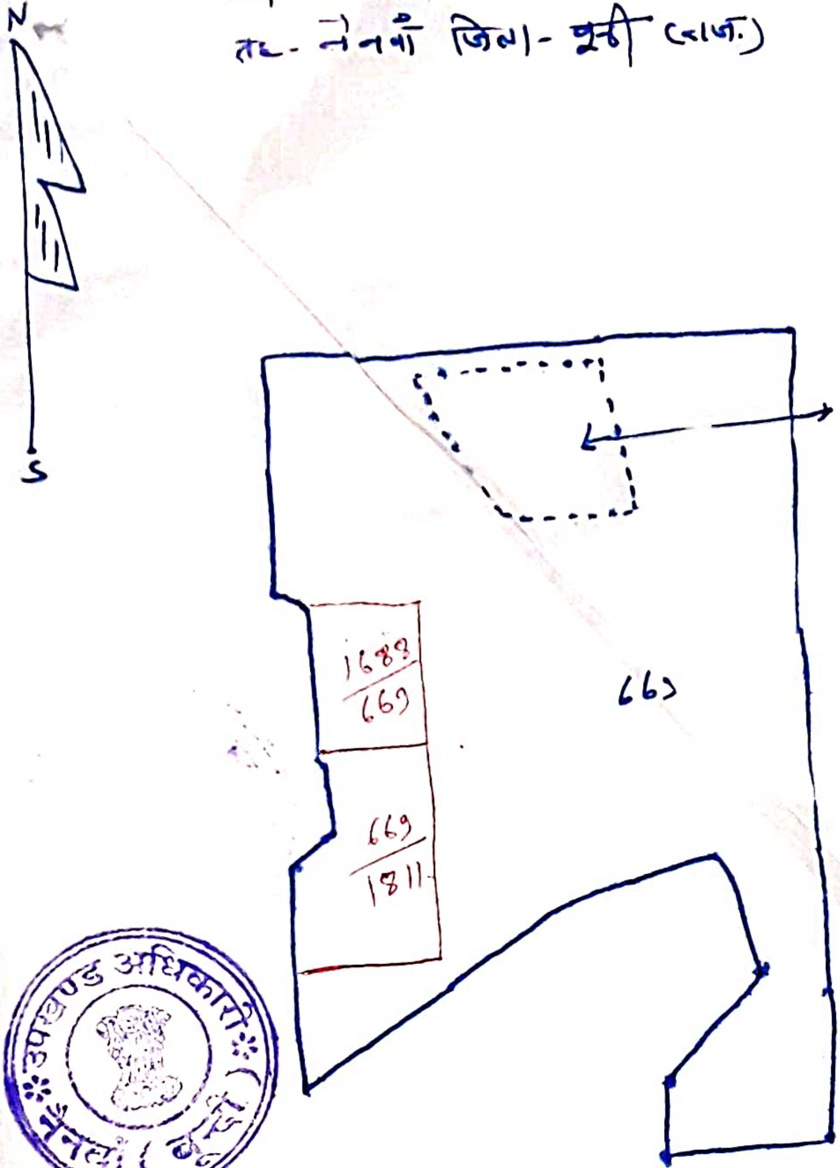

ख.न. 669/1811 की हेतु प्रस्तावित तरमीम

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बूंदी)

राजकार्य हेतु निःशुल्क जावे

20.10.23

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.09 15:49:19 IST
Reason: SelfAttested